

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपद पुलिस को वृहद एवम् सघन चेकिंग के लिये निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दिनांक 23.04.2021 को चेकिंग के दौरान अभियुक्त सलमान गाजी पुत्र दिलदार निवासी ग्राम बिहारीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर को ग्राम देना बिहारीगंज मस्जिद के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त के कब्जे से मौके पर एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 138/21 धारा 25(1-B) A Act पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

• सलमान गाजी पुत्र दिलदार निवासी ग्राम बिहारीगंज थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर

बरामदगी विवरण -

• एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

• मु0अ0सं0 138/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना पिसावां जनपद सीतापुर

पुलिस टीम-

उ0नि0 देवेन्द्र सिंह, हे0का0 अनिल जायसवाल, का0 राघवेन्द्र सिंह

